

100

placers where
Necessary

14 1/2

साज आश्वी के. २०००

1513 2671 052

052

॥०२०२१॥ /

अपराध के संबंध

पत्र / पश्चाद पत्र प्रस्तुत किया गया।

राज्य द्वारा ए०डी०पी०७ओ०

३५०।

अभियुक्त / अभियुक्तगण. सुदेर २१६।०. चाफि २५००२१भाप

US 214

निवासी / निवासीगणः

2771

م

1321

अभिप्रेत / अभियुक्त / अभियुक्तगण
उपस्थित ।

三

किया ।

अग्नियोग पत्र / परिवाद पत्र समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया गया

—
بند

है। प्रकरण में संज्ञान के विषय पर विचार किया गया। अभियोग पत्र / परिवाद पत्र व प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से प्रथम दृष्टया उपरोक्तानुसार विरुद्ध अभियुक्त / अभिनियम के अधीन कार्यवाही किये जाने के विरुद्ध धारा 10(4) सं० / अन् अनुवृत्ति / अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 10(4) सं० / आदेश जारी करा यादश किया जाता है।

190---(1) ५०५० रु० के अधीन आगुजिद पंजीयन का प्रकरण 600383/1 मि रु

विष्णु पाल

क्रिया जाव ।
अभियुक्त / अभियुक्ताएँ ८०२० रु.
अभियोग पत्र एवम्

[illegible]

चूंकि मागला संक्षिप्त विचारणीय है। अतः संक्षिप्त विचारण प्रारम्भ किया गया। अभियुक्त/अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 352(1) भा0दं0सं0/352(1) Cr.P.C. अधिनियम के अधीन अपराध की विशिष्टियां विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाये और समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया। अतः अभिवाक् यथा संभव उसके शब्दों में लेखबद्ध किया गया।

अभियुक्त/अभियुक्तगण की स्वेच्छया अपराध की स्वीकारोक्ति को ध्यान में रखते हुए निर्णय प्रथम से दत्तित करवाकर हस्ताक्षरित, दिनांकित, गुद्रांकित कर घोषित किया गया। अभियुक्त को उक्त अपराध के अधीन दोषसिद्ध करते हुए न्यायालय अवसान तक की अवधि के दण्ड एवं 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को 15 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

निर्णय की निःशुल्क प्रति अभियुक्त को प्रदान कर पावती ली जाये।

जप्तसुदा संपत्ति 1 जो 1200 रुपये राजसात किये जायें। रांपत्ति 2000 रुपये 2000 रुपये मूल्यहीन होने से नष्ट कर व्ययनित की जाये। जप्तसुदा वाहन की दशा में वाहन उसके स्वामी को लौटाया जाये। सुपुर्दगी की दशा में सुपुर्दगीनामा निरस्त किया जाता है तथा अपील की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशों का पालन हो।

प्रकरण का परिणाम अपराधिक पंजी में पंजीबद्ध कर विहित अधि में अभिलेख संचयन हेतु आवश्यक प्रतिपूर्ति उपरांत अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

A.K. Gupta
Judicial Magistrate first class,
Ghatigaon Dist. Bhind (M.P.)

पुनश्च: निर्णयानुसार अभियुक्त/अभियुक्तगण ने अर्थदण्ड की राशि 5000 रुपये अदा की जिसकी पावती बुक क0 6887 रसीद क0 53 दी गई।

अभियुक्त/अभियुक्तगण को सजा भुगताई गई।

प्रकरण उपरोक्त निर्देश अनुसार रोजित हो।